न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 26/2019 (अपील)
जी.सी.एम.एस. नं. – 2019/00036

उनवान

मृतक शम्भू सिंह मुतवन्ना पुत्र लाल सिंह जाति राजपूत निवासी खातौली तहसील पीपल्दा,जिला कोटा जर्ये कायममुकामान

1/1– रूकमणी पुत्री स्व.शम्भू सिंह पत्नि बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड न.8 बून्दी,

(अपीलान्ट)

बनाम

1. प्रेमचन्द पुत्र फूलचन्द जाति महाजन (जैन) निवासी डडवाडा
2. दिनेश कुमार फूलचन्द जाति महाजन (जैन) निवासी डडवाडा
3. प्रदीप कुमार फूलचन्द जाति महाजन (जैन) निवासी डडवाडा तहसील पीपल्दा,जिला कोटा।
4. सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा,जिला कोटा ।

(रेंस्पोडेन्टस्)

उपस्थित अभिभाषक :– श्री धनश्याम नागर,(अपीलान्ट)
श्री जगदीश प्रसाद शर्मा (रेस्पोडेन्टस)

अपील बनाराजगी नामान्तरकरण सं. 71 दिनांक 4.09.1968

न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा,प्रार्थना पत्र अ0धारा 5 मियाद अधिनियम

निर्णय दिनांकः– 9/5/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इंतकाल संख्या 71 दिनांक 4.09.1968 अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं विधि एवं कानून के सिद्वि प्राप्त तथ्यो के सर्वदा विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त विवादित खसरा के पूर्व खसरा नम्बर 129 रकबा 56 बीधा 6 बिस्वा थे जिसके बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 99,121,290,290/304 किता 4 की कुल रकबा 9.37 वाके माल फतेहपुर तह0 पीपल्दा में अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज है। अपीलान्ट का रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 से कोई सम्बंध सरोकार नही है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा व राजस्व कर्मचारी व अधिकारीयों द्वारा लापरवाही पूर्वक अपीलान्ट के खाते की उक्त आराजी पर गैरकानूनी रूप से उक्त इंतकाल खोल दिया जों निरस्त योग्य है। उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 को

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

सूरजमल से प्राप्त हुई है सूरजमल की वसीयत अनुसार उक्त आराजी प्रेमचन्द के आई तथा प्रेमचन्द द्वारा अपने दोनो पुत्रों में विभक्त किया गया जबकि उक्त आराजी से मूलतः सूरजमल को कोई कानूनी अधिकार व अधिपत्य था और ना ही मौजूदा समय में वसीयत व उत्तराधिकार के आधार पर मौजूद रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 का कोई अधिकार है। सूरजमल के द्वारा दिनांक 16.12.1965 में एक वाद धारा 19 आरटीएक्ट के तहत उपजिलाधिकारी कोटा के न्यायालय में पेश किया गया,उक्त वाद भी दिनांक 17. 10.1967 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने अधिकार सीमाओ से परक जाते हुए बिना किसी संक्षम अधिकार व आदेश के उक्त वाद के खारिज हो जाने के तथ्य को जानते हुए भी उक्त वाद की डिक्री के समान उक्त इंतकाल संख्या 71 दिनांक 4.09.1968 को खोला गया जो गलत व गैरकानूनी होने से निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट को उक्त इंतकाल की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिये जाने व दिनांक 26.04.2019 के नकल प्राप्त करने पर हुई। इंतकाल दिनांक 4.09.1968 को जानकारी तिथि दिनांक 26.04.2019 तक का समय जानकारी के अभाव में व्यतीत समय मुजरा करने के उपरान्त अपील अन्दर मियाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा का इंतकाल संख्या 71 दिनांक 4.09.1968 निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेंशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट क.1 लगायत 4 की ओर से अभिभाषक जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया।

प्रार्थना अ0धारा मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के इंतकाल संख्या 71 दिनांक 4.09.168 की जानकारी पटवारी हलका द्वारा बताये जाने पर हुई। अपील पेश करने में हुई देरी न्यायहित में कन्डोन किये जाने योग्य है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

1- RRT 2002 [1] page 649
2- RRT 1998 page 649
3- RRT 2008 [2] page 1183
4-RRT 2008 [1] page 1406
5- RRT 2023 [2] page 1115
6- RRT 2017 [2] page 1104
7- RRT 2018 [1] page 601

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दोराने बहस प्रार्थना पत्र धारा 05 में कथन किया कि अपीलान्ट उक्त अपील के साथ प्रस्तुत धारा 05 के प्रार्थना पत्र में लिमिटेशन अवधि 51 वर्ष से अधिक बताई है जो विलम्ब से पेश हुई है इतनी लम्बी अवधि में कन्डोन किया

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

जाना न्यायहित में नही है। अतः अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

1- RBJ 2011 [18]
2- RBJ 2009 [16]

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इंतकाल संख्या 71 दिनांक 4.09.68 के विरूद्व धारा 05 लिमिटेंशन के प्रार्थना पत्र के साथ 29.04.2019 को लगभग 51 वर्ष देरी से पेश की है। वकील अपीलान्ट द्वारा मुख्यरूप से देरी का कारण पटवारी हलका द्वारा जानकारी देना अवगत करवाया है। 58 वर्ष के लम्बें अन्तराल में विवादित आराजीयात् मौका एवं रेकार्ड की स्थिति भी बदल जाती है। न्यायालय को मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत विलंब क्षमा करने का विवेकाधिकार प्राप्त है परन्तु इस अधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब आवेदक न्यायालय के समंक्ष पर्याप्त कारण दर्शित करें। वकील अपीलान्ट द्वारा इतनी लम्बी मियाद 51 वर्ष को कन्डोन किये जाने बाबत कोई ठोस व उचित कारण नही बताया गया है।

अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28/5/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज.)